<u>**एक्सपोजर प्रारुप**</u>
<u>**Exposure Draft**</u>

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/प्रारुप एकीकृत पुनर्बीमा विनियम/2023-24/288
Ref. No.: IRDAI/Draft Unified RI Reg/2023-24/288 दिनांक / Date: 12.12.2023

आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 का एक्सपोजर प्रारूप
EXPOSURE DRAFT IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches & Lloyd's India) Regulations, 2024

1. व्यवसाय करने की सुगमता का संवर्धन करने के प्राधिकरण के उद्देश्य को पूरा करने हेतु प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विभिन्न विनियमों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से विनियम समीक्षा समिति (आरआरसी) गठित की गई।
   To meet the objective of the Authority to promote ease of doing business, the Regulation Review Committee (RRC) was formed with an intent of streamlining various regulations issued by the Authority.

2. उक्त आरआरसी ने प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट के प्रारूप में पुनर्बीमाकर्ताओं / एफआरबीएस / लायड्स के लिए उद्दिष्ट विनियमों के एकीकरण की सिफारिश की है।
   The RRC has recommended unification of regulations, meant for Reinsurers / FRB's / Lloyd's in their draft report submitted to the Authority.

3. प्राधिकरण की आंतरिक समिति ने आरआरसी द्वारा सुझाये गये प्रारूप की समीक्षा की है तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 के आशोधित प्रारूप को विकसित किया है जो दोनों विनियमों आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 और आईआरडीएआई (लायड्स इंडिया) विनियम, 2016 को सम्मिलित करता है।
   The Internal Committee of the Authority has reviewed the draft suggested by RRC and has developed a modified draft of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches & Lloyd's India) Regulations, 2024 which combines the two regulations IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015 and IRDAI (Lloyd's India) Regulations, 2016.

4. उक्त संशोधित प्रस्तावित विनियमों पर हितधारकों की टिप्पणियों की अपेक्षा करने हेतु हितधारकों को पुन: संबद्ध करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 का एक्सपोज़र प्रारूप अनुबंध - क के रूप में संलग्न किया गया है।
   In order to re-engage with the stakeholders to seek their comments on the revised proposed Regulations, the exposure draft of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches & Lloyd's India) Regulations, 2024 is attached as Annexure - A.

5. उक्त विनियमों के प्रारूप की कुछ मुख्य-मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :-
   Some of the salient features of the draft Regulations are as under :-

   क. दोनों लायड्स और लायड्स को छोड़कर अन्य के लिए लागू सामान्य उपबंधों का विनियमों के एकल सेट में एकीकरण।
   a. Unification of Common Provisions applicable for both Lloyd's and other than Lloyd's in a single set of regulations.

ख. एफआरबीएस की मूल संस्थाओं के संविलयन और अधिग्रहण के लिए उपबंध शामिल किये गये हैं।

b. Provisions for merger and Acquisition of parent entities of FRB's have been introduced.

ग. उक्त प्रारूप / विनियमों में पर्याप्त उपबंध सुरक्षित रख लिये गये हैं। अन्य अनुषंगी उपबंधों और फार्मों / अनुबंधों को विनिर्दिष्ट करते हुए मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा।

c. Substantive provisions have been retained in the draft / regulations. Master Circular will be issued by specifying other ancillary provisions and Forms / Annexures.

6. सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे प्रस्तावित विनियमों पर अपनी टिप्पणियाँ / सुझाव, यदि कोई हों, 03 जनवरी, 2024 को अपराह्न 5:00 बजे अथवा उससे पहले संलग्न फार्मेट (अनुबंध-ख) में Reinsurance@irdai.gov.in को प्रेषित करें और उनकी एक प्रति annapurna.mv@irdai.gov.in को भी भेजें।
All the stakeholders are requested to forward their comments / suggestions, if any, on the proposed regulations in the attached format (Annexure- B) on or before 5:00 PM on 03rd January, 2024 to Reinsurance@irdai.gov.in with a copy to annapurna.mv@irdai.gov.in